न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 84/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/209

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थी :—
चुन्नीलाल पुत्र देवाराम, जाति सीरवी, निवासी निम्बला खेडा, ग्राम पंचायत, बाणियावास, तहसील व जिला पाली।		सरपंच/ग्राम सेवक ग्राम पंचायत, बाणियावास, तहसील व जिला पाली।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भेराराम परिहार।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 17/03/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बाणियावास द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः ग्रा.प.बा/2022—2023/25 दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रश्नगत नोटिस प्रार्थी को ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दीवार बनाकर दरवाजा खोलने के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने हेतु जारी किया। ग्राम पंचायत के उप सरपंच प्रार्थी की जैर आराजी को हडपने की नियत से बिना किसी वजह उपरोक्त भूमि को मंदिर की बताकर प्रार्थी को परेशान कर रहे है जबकि जैर आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी हक अधिकार की है जिस पर वह निर्विवाद रूप से रह रहा है। प्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि में ही दीवार बनाकर दरवाजा खोला है, जो कि 40 वर्ष पूर्व के है। इसलिये अप्रार्थी द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी प्रश्नगत नोटिस को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बाणियावास द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः ग्रा.प.बा/2022—2023/25 दिनांक 18.04.2022 के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पिता देवाराम पुत्र लालाजी के पक्ष में दिनांक 07.03.1980 को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया।

अति. जिला कलेक्टर पाली

पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 के अनुसार अप्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 07.03.1980 के दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है एवं उसी दिशा में भूखण्ड का दरवाजा आया हुआ है तथा अप्रार्थी के पिता ने अपने दोनों पुत्रों के मध्य जैर निगरानी भूखण्ड का बंटवारा कर दिया जिससे प्रार्थी के हिस्से में आये मकान के दक्षिण दिशा में तुलसाराम पुत्र देवाराम का मकान, पश्चिम दिशा खाली चौक स्थित है। चुकि प्रश्नगत नोटिस में यह अंकित किया गया है कि शुरू से ही जैर भूखण्ड का दरवाजा दक्षिण दिशा में स्थित है और प्रार्थी ने गलत तरीके से पश्चिम दिशा में दरवाजा खोल दिया जबकि मौका रिपोर्ट पर बने नक्शे से ही यह प्रमाणित है कि प्रार्थी चुन्नीलाल के मकान के दक्षिण दिशा में उसके भाई तुलसाराम का मकान है इसलिये उस दिशा में दरवाजा खोलना सम्भव नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा पश्चिम दिशा में खाली पडे चौक में दरवाजा खोला गया, जो उचित है। इसके अतिरिक्त यदि प्रार्थी द्वारा उसके पिता के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 07.03.1980 के भूखण्ड के अतिरिक्त ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया है तो प्रार्थी को साक्ष्य/सबुत/दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बाणियावास द्वारा जारी नोटिस क्रमांकः ग्रा.प.बा/2022–2023/25 दिनांक 18.04.2022 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)